

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबन्धन, मुख्यालय, मध्यप्रदेश

परिपत्र क्रमांक : 24

क्रमांक 291/निस/डीजी/2018

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 2018

विषय : अपने कार्य क्षेत्र में बाहर जाने की अनुमति प्राप्त करने बाबत।

---:---:---

मुख्यालय का पत्र क्रमांक 367/निस/डीजी/2006 दिनांक 14 फरवरी, 2006 (परिपत्र क्रमांक 07/2006) के सब पैरा (द) में "जिला सेनानी को सम्भाग से बाहर जाने के लिये पुलिस महानिरीक्षक, नगर सेना की पूर्व अनुमति" के निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में शासन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर एडीशनल डायरेक्टर जनरल होमगार्ड की पदस्थापना की गई है।

2- जिला सेनानी को संभाग से बाहर जाने की अनुमति एडीशनल डायरेक्टर जनरल, होमगार्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

3- उपरोक्त आदेश यथोचित परिवर्तन (Mutatis Mutandis) सहित छुट्टी के प्रकरणों पर भी लागू होंगे। अधिकारियों के डियूटी/शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति तथा अवकाश पर जाने संबंधी सूचना की प्रतिलिपि महानिदेशक, होमगार्ड, M0प्र0 को भी पृष्ठांकित करेंगे।


(महान भारत सागर)

महानिदेशक,

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 292/निस/डीजी/2018

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि:-

- 1- एडीशनल डायरेक्टर जनरल, होमगार्ड, मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 2- एडीशनल डायरेक्टर जनरल, एसडीईआरएफ, भोपाल।
- 3- उप महानिरीक्षक, एसडीईआरएफ, भोपाल।
- 4- एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
- 5- सीनियर स्टाफ आफीसर (वित्त)/(स्था.), होमगार्ड, मुख्यालय जबलपुर।
- 6- कमाण्डेण्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड मंगेली, जबलपुर।
- 7- समस्त डिवीजनल कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/एसडीईआरएफ मध्यप्रदेश।
- 8- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/एसडीईआरएफ, मध्यप्रदेश।
- 9- जूनियर स्टाफ आफीसर होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर।
- 10- कार्यालय अधीक्षक, होमगार्ड, मुख्यालय जबलपुर।

को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


महानिदेशक,

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश